

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-27/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नवलाराम पुत्र गोकलराम जाट निवासी वाराणी तहसील व जिला नागौर राज.		<ol style="list-style-type: none"> 1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर व कार्यपाल इन्जिनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागौर, राजस्थान।

उपस्थित-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश

दिनांक: 16/7/18

1- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 171/000 से कि.मी. 267/380 (नागौर-बीकानेर खण्ड) तक के भू खण्ड निर्माण (वौडा करने 2 लाईन सहित पैव्ड शोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधित अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 सपटित धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1994 एवं भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापन और पुनर्वास अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 नागौर बीकानेर खण्ड को चौड़ा करने, दो लाईन सहित पैव्ड सोल्डर आदि बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ए) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) नियुक्त किया गया तथा दिनांक 4.5.12 के द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई तथा साथ के साथ समाचार पत्रों में भी अधिसूचना निकाली गई। इस अधिसूचना के द्वारा प्रार्थी की पट्टा शुद भूमि को अवाप्त किया गया। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि ग्राम बाराणी के खसरा संख्या 130 की भूमि है। खसरा संख्या 130 के खातेदार ने अपनी खातेदारी की भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड काट कर बेचे थे। प्रार्थी ने भी इस खसरे की भूमि में से भूखण्ड की खरीद की। खरीद के बाद प्रार्थी के इस भूखण्ड का पट्टा भी ग्राम पंचायत ने सन् 1985 में जारी किया जो पट्टा संख्या 29 है। प्रार्थी के भूखण्ड का नाप 30X50 फुट है। प्रार्थी के इस भूखण्ड में प्रार्थी का रहवासी पक्का मकान 15X30 फुट में बना हुआ है। प्रार्थी की इस पट्टा शुद भूमि की अवाप्ति की गई जिसमें प्रार्थी का मकान भी अवाप्ति भूमि में शामिल है। प्रार्थी को अवाप्त भूमि का तथा इस पर बने मकान निर्माण



की कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। प्रार्थी इस मुआवजा राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2(1)-प्रार्थी की अवाप्त की गई पट्टा शुद्ध आवासीय भूमि तथा इस पर बने प्रार्थी के मकान की मुआवजा राशि प्रार्थी को नहीं देने में अप्रार्थीगण ने कानूनी गलती की है।

2(2)-प्रार्थी ने यह भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामे के खरीद की थी तथा बाद में ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के नाम इस भूमि का पट्टा भी जारी किया था। पट्टे की प्रति साथ में प्रस्तुत है।

2(3)-प्रार्थी का यह भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यह भूमि तथा आस पास के भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में विकसित हो गये तथा इसके आस पास रहवासी मकान बने हुए हैं तथा पूरा क्षेत्र आवादी में परिवर्तित हो चुका है इसलिए प्रार्थी आवासीय प्रयोजनार्थ तय राशि दिलाये जाने की मांग करता है।

2(4)-अवाप्ति में प्रार्थी का पूरा मकान चला गया है। प्रार्थी अपनी अवाप्त की गई भूमि तथा पूरे मकान की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

2(5)-प्रार्थी आवासीय प्रयोजन की राशि की चार गुना राशि विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा राशि नहीं मिलने तक अवाप्ति की तिथि से राशि मिलने तक 12 प्रतिशत ब्याज राशि अलग से पाने का हकदार है।

2(6)-प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भी मुआवजा राशि दिलाये जाने की मांग की थी मगर प्रार्थी को यह राशि नहीं दी गई।

2(7)-ग्राम पट्टवारी अथवा तहसीलदार अथवा ग्राम सेवक से इस संबंध में रिपोर्ट भी न्यायहित में मंगाई जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके का कथन करते हुए वकिल प्रार्थी ने राजमार्ग संख्या 89 के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 को संशोधित कर प्रार्थी की ग्राम बाराणी के खसरा नंबर 130 की आवासीय प्रयोजनार्थ कटी बस्ती में प्रार्थी की पट्टा शुद्ध भूमि व उस पर बने प्रार्थी के मकान की मुआवजा राशि प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया।

3-वकिल अप्रार्थीगण राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम बाराणी आवादी भूमि के मूल खसरा नंबर 130 के मालिक नवलाराम की भूमि का मुआवजा अधिसूचना के अभाव में अवधारित नहीं हुआ था। इस खसरे की कृषि भूमि उप खसरा नंबर 397/130 एवं 130/1 की अधिसूचना जारी हुई थी। जिसका मुआवजा जीवनराम पुत्र आशाराम को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अतः अवाप्त सुदा मूल खसरा नंबर 130 के मुआवजे का भुगतान भूमि की किरम के अनुसार प्रार्थी नवलाराम को मोर्थ के नियमानुसार सहमति प्राप्त करके किया जा सकता है।

3(1)-प्रार्थी के जमीन के संबंध में मालिकाना हक की संबंधित राजस्व कार्मिक से सत्यापन करवाकर राहगति के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है।

3(2)-अवाप्त की जाने वाली भूमि की प्रकृति के आधार मुआवजा तय किया जाकर सहमति के आधार पर दिया जा सकता है।

3(3)-अवाप्ति आने वाली भूमि एवं मकान का मुआवजा सत्यापन करवाकर वर्तमान प्रचलित नियमानुसार (मोर्थ के परिपत्र के अनुसार) प्रार्थी की सहमति लेकर दिया जा सकता है।

3(4)-प्रार्थी को वर्तमान प्रचलित नियमानुसार देय मुआवजा राशि प्रार्थी की सहमति लेकर दिया जा सकता है।

3(5)-अवाप्ति में आने वाली भूमि का सत्यापन कर यदि पूर्व में अवाप्ति की अधिसूचना में शेष रह गई हो तो मुआवजा प्रार्थी की सहमति लेकर मोर्थ दिल्ली के परिपत्र अनुसार निर्धारित कर दिया जा सकता है।



3(6)-प्रार्थी द्वारा चाहे गये मुआवजे के संबंध में पटवारी, तहसीलदार, एवं ग्राम सेवक से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करके नियमानुसार मुआवजा तय किया जाकर भुगतान किय जा सकता है।
4- वकूलाय की वहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 171/000 से कि.मी. 267/380 (नागौर-बीकानेर खण्ड) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन सहित पैव्ड शोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधित अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 सपटित धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1994 एवं भूमि अवाप्ति पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत कर उक्त अवार्ड दिनांक 02.05.2016 को संशोधित कर प्रार्थी की ग्राम बाराणी के खसरा नम्बर 130 की आवासीय प्रयोजनार्थ कटी बस्ती में प्रार्थी की पट्टा शुद्ध भूमि व उस पर बने प्रार्थी के मकान की मुआवजा राशि प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4(1)- राजस्व प्राग बाराणी आवादी भूमि के मूल खसरा नंबर 130 के मालिक नवलाराम की भूमि का मुआवजा अधिसूचना के अभाव में अवधारित नहीं होने का राजपैरोकार द्वारा कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा एन.एच.एक्ट 1956 की धारा 3जी के तहत पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 का अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के ग्राम बाराणी के उक्त खसरा नम्बर 130 के संबंध में किसी प्रकार का अवार्ड पारित नहीं किया गया है।

4(2)- एन.एच. एक्ट की धारा 3जी(5) के अनुसार यदि उप धारा(1) या उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को रवीकार नहीं है, तो रकम किसी पक्षकार के आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ द्वारा अवधारित करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा एन.एच.एक्ट 1956 की धारा 3जी के तहत कोई अवार्ड ही पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। यद्यपि वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार द्वारा अपने जबाब में यह अंकित किया है कि "अवाप्त सुदा मूल खसरा नंबर 130 के मुआवजे का भुगतान भूमि की किरम के अनुसार प्रार्थी नवलाराम को मोर्थ के नियमानुसार सहमति प्राप्त करके किया जा सकता है।" अतः प्रार्थी को यदि उसकी भूमि अवाप्त की गई है तो उसके मुआवजे के संबंध में सक्षम स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए।

4(3)- उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र विधि अनुसार होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

4(4)- ओदे...नाया।




(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर
प्रत्यक्ष, नागौर